



जनपद बिजनौर

प्रेसनोट-थाना कोतवाली शहर

दिनांक 08.08.2026

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0स0 613/2026 धारा 64(1)/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया ।

घटना एवं कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 21.07.2026 को वादिया द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त निपेन्द्र पुत्र रसपाल निवासी ग्राम फरीदपुर दरगाह, थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर द्वारा उसके साथ गलत कार्य कर उसे जान से मारने की धमकी दी गयी है । इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0स0 613/2026 धारा 64(1)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

दिनांक 08.08.2026 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त निपेन्द्र को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

निपेन्द्र पुत्र रसपाल निवासी ग्राम फरीदपुर दरगाह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 धर्वेन्द्र शर्मा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
2. का0 1492 रोहित थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।





प्रेसनोट-थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर दिनांक:- 08.08.2026

थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 96/2026 धारा 317(2)/305(A) बी0एन0एस0 से संबंधित 03 अभियुक्तगण को चोरी किये गये पशु सहित किया गया गिरफ्तार ।

घटना एवं कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.08.2026 को वादी श्री बाबू पुत्र सुभान निवासी ग्राम सैदाबाद, थाना हीमपुर दीपा, जनपद बिजनौर द्वारा तहरीर दी गई कि उसके घर से एक भैंस और एक कटड़ा चोरी हो गया है।

उक्त तहरीर के आधार पर दिनांक 07.08.2026 को थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0स0 96/2026 धारा 305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्तगण 1. सुधीर पुत्र इमरत सिंह निवासी ग्राम मुकरपुर गुर्जर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर 2. शाकिब उर्फ शेरखान पुत्र हनीफ एवं 3. फिरोज पुत्र मुन्ने निवासी गण ग्राम सैदाबाद थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आए।



दिनांक 08.08.2026 को थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा उपरोक्त प्रकाश में आए सभी अभियुक्तगण को चोरी की भैंस, कटड़ा तथा घटना में प्रयुक्त वाहन (छोटा हाथी, रजि0 नं0 UP20BT0899) सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता-

1. सुधीर पुत्र इमरत सिंह निवासी ग्राम मुकरपुर गुर्जर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
2. शाकिब उर्फ शेरखान पुत्र हनीफ निवासी ग्राम सैदाबाद थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
3. फिरोज पुत्र मुन्ने निवासी ग्राम सैदाबाद थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. उ0नि0 श्री राहुल कुमार थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
2. हे0का0 641 दिनेश चहल थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
3. का0 2521 सचिन सार्थक थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
4. म0का0 1046 सीमा मौर्य थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर



**जनपद बिजनौर
प्रेस नोट-थाना नहतौर**

दिनांक 08.08.2026

**थाना नहतौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 - 246/2026 धारा 109(1)/131 बीएनएस से संबंधित 01
वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त ईट सहित गिरफ्तार किया गया ।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.08.2026 को वादी श्री जगराम सिंह पुत्र तुलसी सिंह निवासी ग्राम ढकौली थाना नहतौर जनपद बिजनौर द्वारा थाना नहतौर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त जागन पुत्र नौबहार सिंह निवासी ग्राम ढकौली थाना नहतौर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के पुत्र दिनेश कुमार के उपर जानलेवा हमला किया जिससे वह मौके पर बेहोश हो गये ।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 - 246/2026 धारा 110/131 बीएनएस बनाम जागन उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया तथा अभियोग उपरोक्त में साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 110 बीएनएस का लोप करते हुए धारा 109(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी ।



कार्यवाही

दिनांक 08.08.2026 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त जागन पुत्र नौबहार सिंह निवासी ग्राम ढकौली थाना नहतौर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त 01 ईट सहित गिरफ्तार किया गया । अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

अभियुक्त का नाम व पता -

जागन पुत्र नौबहार सिंह निवासी ग्राम ढकौली थाना नहतौर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण-

01 ईट (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री संयम यादव थाना नहतौर जनपद बिजनौर
2. का0 982 आदेश यादव थाना नहतौर जनपद बिजनौर